न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 123 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. डूंगरराम पुत्र लुम्बाराम 2. खीमाराम पुत्र लुम्बाराम 3. घमण्डाराम पुत्र वगताराम 4. जगदीश पुत्र वगताराम 5. दिलीप पुत्र वगताराम 6. श्रवण पुत्र वगताराम 7. जेती बेव वगताराम 8. पुखाराम पुत्र अभाराम 9. गोपाराम पुत्र अभाराम 10. अमराराम पुत्र शेराराम 11. थानाराम पुत्र शेराराम 12. कालुराम पुत्र केहराराम 13. नैनाराम पुत्र केहराराम 14. वागाराम पुत्र केहराराम जाति जाट सभी निवासी पतासर पोस्ट बागावास तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	1. मालाराम पुत्र चिमाराम का.मु. 1/1भानाराम पुत्र मालाराम 1/2लालाराम पुत्र मालाराम 1/3मगाराम पुत्र मालाराम 1/4टीपु पत्नी मालाराम 2. चैनाराम पुत्र चिमाराम का.मु. 2/1पदमाराम पुत्र चैनाराम 2/2भंवरी पत्नी भीखाराम 2/3भुपेन्द्र पुत्र भीखाराम 2/4श्रीमती राई पत्नी चैनाराम 3. हरदानराम पुत्र चिमाराम का.मु. 3/1हड़मानराम पुत्र हरदानराम 3/2चुन्नीदेवी पत्नी हरदानराम 4. आसुराम पुत्र चिमाराम 5. डूंगरराम पुत्र चिमाराम का.मु. 5/1बजरंग पुत्र डूंगरराम 5/2नैनुदेवी पत्नी डुगरराम 6. लिखमाराम पुत्र चिमाराम जाति जाट सभी निवासी दुर्गापुरा बागावास तहसील पचपदरा 7. शाखा प्रबंधक जे टी जी बी बैंक शाखा बागावास 8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 154/2018 बउनवान मालाराम बनाम डूंगरराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—05.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की अविभाजित पुश्तैनी कृषि भूमि से संबंधित वाद प्रस्तुत हुआ। प्रश्नगत आराजी गांव दुर्गापुरा, पटवार हल्का बागावास तहसील पचपदरा में भूमि खसरा संख्या 402 रकबा 244.08 बीघा आई हुई, जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा अर्थात 61.02 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/6 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 का 1/4 हिस्सा जमाबंदी दर्ज अनुसार है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त पृथक–पृथक है, इसी प्रकार मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण वर्षों से अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं, एवं फसल ले रहे हैं, उक्त भूमि राजस्व नक्शे में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से मौके पर काश्त करने, ऋण लेने इत्यादि में दुविधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए उक्त आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से तलब करने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट को जबाव एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटगण पर उपरोक्त स्थिति में विधिवत रूप से तामिली नहीं हुई है, जिस वजह से अपीलांट को न तो जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। उत्तरदाता के द्वारा अपीलांट के हक अधिकार की जमीन हड़पने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही एकपक्षीय रूप से निर्णय करवा दिया ताकि अपीलाधीन आराजी का विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान के विभाजन नियम 18 से 21 के विपरीत किया जासके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/उत्तरदाता के हिस्सा का विभाजन करने का निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। मूल वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश नहीं करने के बावजूद खातेदारी घोषणा की गई जो विधि सम्मत नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। दिनांक 20.10.2023 को वादीगण ने अपीलांट को कागजों पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा, जिस पर अपीलांट गांव के हल्का पटवारी के पास गये, और इस बारे में पुछताश की गई, तो हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दी, जिस पर अपीलांट द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 20.10.2023 को प्रकरण की नकलें प्राप्त की, तो अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उत्तरदाता के अधिवक्ता ने धारा 05 परिसीमा के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलंब के एक–एक दिन का हिसाब नहीं बताया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील जानकारी होने के बावजूद भी मियाद बाहर पेश की गई। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर ख़ारिज क़रने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं क़रवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबावदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2021 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आराजी का खातेदार घोषित किया गया जबकि खातेदार किसे घोषित किया गया कोई स्पष्ट नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' अनुसार बंटवारा करने के आदेश पारित किया गया। परिशिष्ट 'अ' अनुसार बंटवारा क्यों किया जावे के संबंध में कोई विवेचन नहीं है। हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार स्पीकिंग निर्णय पारित नहीं किया गया। अपीलाधीन आराजी के अन्य सहखातेदारों के बंटवारे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 154 / 2018 बउनवान मालाराम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बनाम डूंगरराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशन को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई स्थाई आलामात/कब्जे/मार्ग/गुणवत्ता को ध्यान में रखते बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस सिद्धांत के अनुसार अपीलाधीन आराजी का बंटवारा करने हेतु प्राथमिक निर्णय व डिक्री नियमानुसार पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2025 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

5/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर